



प्रेषक,

कपिल देव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,
उ०प्र०, लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 09 जुलाई, 2026

विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-5 के अन्तर्गत पं० दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्रांक-1639-43/खा.ग्रा.बो./पं०दी०द०/यू०सी० पत्रा/2026-27, दिनांक 17.06.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा उ०प्र० के समस्त जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित पं० दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-5 में प्राविधानित धनराशि रु० 1000.00 लाख (रुपये दस करोड़ मात्र) के सापेक्ष शासनादेश संख्या-30/2026/195/59-2-2026/001-1809827, दिनांक 21 अप्रैल, 2026 द्वारा प्रथम किश्त की धनराशि रु० 250.00 लाख (रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति किये जाने के उपरान्त योजनान्तर्गत अवशेष धनराशि रु० 750.00 लाख (रुपये सात करोड़ पचास लाख मात्र) में से द्वितीय किश्त की धनराशि रु० 250.00 लाख (रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) को निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत निर्गत किये जाने एवं उसे निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ०प्र० के निर्वर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्तें/ प्रतिबन्धों

- (1) स्वीकृत धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।
- (2) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रायोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए उक्त धनराशि स्वीकृति प्रदान की जा रही है।
- (3) स्वीकृत धनराशि व्यय उपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र आहरण अधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षर उपरान्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ को उपलब्ध कराया जायेगा। तत्पश्चात उक्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र का परीक्षण कर खादी बोर्ड द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (4) स्वीकृत धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (5) आकड़ों की मात्रात्मक एवं तथ्यात्मक शुद्धता तथा किसी भी वित्तीय अनियमितता का दायित्व उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का होगा।
- (6) पं० दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तपोषित/स्थापित इकाईयों को ब्याज उपादान की सुविधा अनुमन्य की जायेगी। योजनान्तर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की वित्तपोषित इकाईयों को परियोजना लागत से मार्जिनमनी सब्सिडी एवं उद्यमी अंशदान को घटाने के बाद अवशेष ऋण धनराशि पर ब्याज उपादान (अधिकतम 13 प्रतिशत तक) की सुविधा ऋण के प्रथम वितरण की तिथि से तीन वर्षों तक प्रदान की जायेगी।
- (7) योजनान्तर्गत जनपद के मुख्य विकास अधिकारी आहरण/वितरण अधिकारी होंगे। प्राप्त दावा पत्रक का परीक्षण एवं इकाई के स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त बैंक द्वारा क्लेम किये गये ब्याज उपादान के बिल की जांच लेखा परीक्षक से कराने के पश्चात ब्याज उपादान भुगतान किये जाने की कार्यवाही एन०ई०एफ०टी०/आर०टी०जी०एस० के माध्यम से 15 दिन के भीतर जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (8) ब्याज उपादान क्लेम की धनराशि लेखा परीक्षक से जांचोपरान्त भुगतान किये जाने वाली धनराशि का बिल पारित करते हुए एन०ई०एफ०टी०/आर०टी०जी०एस० के माध्यम से सीधे लाभार्थी के पक्ष में बैंक को हस्तांतरित किये जाने हेतु कोषागार को प्रेषित किया जायेगा।
- (9) वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 29-05-2012 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार धनराशि का भुगतान नगद व चेक के माध्यम से न करके NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रानिकली किया जायेगा।
- (10) जिला ग्रामोद्योग अधिकारी इस सम्बन्ध में सुनिश्चित हो लेंगे कि ब्याज सब्सिडी की धनराशि सिर्फ उन्ही उद्यमियों को स्वीकृत ऋण के सापेक्ष देय होगी जो योजना की पात्रता की शर्तें पूरी तरह से पूर्ण करते हो, इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित जनपद के जिला ग्रामोद्योग अधिकारी का होगा। यदि यह पाया जाता है कि किसी अपात्र उद्यमी को योजना का लाभ प्राप्त हुआ है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित जिला ग्रामोद्योग अधिकारी का होगा।
- (11) प्रदेश में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों के स्वीकृत/वितरित ऋण के पश्चात ही इकाईयों इस योजना के अन्तर्गत ब्याज उपादान हेतु पात्र होंगी। वर्तमान एवं गत वित्तीय वर्षों में स्वीकृत परियोजनाओं पर ब्याज उपादान देय होगा। भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा स्वरोजगार हेतु संचालित लाभार्थीपरक किसी अन्य योजना में ब्याज उपादान में लाभ प्राप्त व्यक्ति इस योजना का पात्र नहीं होगा।
- (12) पं० दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के क्रियान्वयन विषयक शासनादेश संख्या-29/2018/374/59-2-2-2018-13(खा)2017टी.सी. दिनांक 21 मई, 2018 में उल्लिखित व्यवस्थाओं के समुचित अनुपालन का उत्तरदायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का होगा।
- (13) उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्राक-107-11/खा.ग्रा.बो./पं०दी०द०/यू०सी० पत्रा/2025-26, दिनांक 08.04.2026 में संलग्न की गयी कार्ययोजना के अनुसार ही उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,50,00,000 (रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 005 लेखा शीर्षक 2851001051800 पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-6-13-X-2026-27, दिनांक 06.07.2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

कपिल देव
अनु सचिव।

संख्या-38/2026/265(1)/59-2-2026/002-1809827 तददिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/, द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/, द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
- 3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
- 4- सम्बन्धित जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी, जो योजनान्तर्गत आहरण एवं वितरण अधिकारी होंगे।
- 5- सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी।
- 6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0, 125, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4/
औद्योगिक विकास अनुभाग-2
- 8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 9- वित्त एवं लेखाधिकारी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कपिल देव
अनु सचिव।